संख्या–पी–135 / 81–2–2019–800(02) / 2020

प्रेषक,

गौरव वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 16 **जनवरी, 2020**

विषय– जनपद हमीरपुर में बिलराया–पनवाडी मार्ग (एस0एच0–21) के चैनेज 399.600 से 427.000 (चिकासी से राठ) चार लेन के चौड़ीकरण एवं सुद्धढीकरण में 49.32 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 2611 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0–1277 / 11–एफपी / रोड / 41235 / 2019, दिनांक 27–12–2019 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हमीरपुर में बिलराया–पनवाडी मार्ग (एस0एच0–21) के चैनेज 399.600 से 427.000 (चिकासी से राठ) चार लेन के चौड़ीकरण एवं सुद्धढीकरण में 49.32 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 2611 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में उल्लिखित मार्ग ''बिलराया पनवाड़ी मार्ग'' का चौड़ीकरण शेष भाग में नहीं किया जा रहा है? स्पष्ट करें।

3– यह भी स्पष्ट जाय कि परियोजना की स्वीकृति मार्ग चैनेज 398.600 से 427.000 तथा प्रस्ताव में प्रस्तावित मार्ग किमी0 399.600 से 427.00 में अंतर क्यों है?

अतःकृपया उक्त स्थिति को स्पष्ट करते हुये आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके ।

भवदीय,

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।